संख्या-39/2025/।/1091138/2025/001-71-4099-167-2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक-16.09.2025

विषयः-वित्तीय वर्ष-2025-26 में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा से सम्बद्ध अस्पताल बिल्डिंग के बेसमेन्ट में सुदृढ़ीकरण (Maintenance & Construction of wall & Stitching floor at GIMS, Greater Noida) के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत रुपये 2548.01 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 891.80 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0आई0एम0एस0/2025/1624, दिनांक-24.07.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा से सम्बद्ध अस्पताल बिल्डिंग के बेसमेन्ट में सुदृढ़ीकरण (Maintenance & Construction of wall & Stitching floor at GIMS, Greater Noida) के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2025-26 में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा से सम्बद्ध अस्पताल बिल्डिंग के बेसमेन्ट के सुदृढ़ीकरण (Maintenance & Construction of wall & Stitching floor at GIMS, Greater Noida) के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत रुपये 2548.01 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूंजीलेखा पक्ष में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-14 राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 891.80 लाख की धनराशि (रुपये आठ करोड़ इक्यानबे लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
2. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य है। कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।
3. परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
4. कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/संस्थान का होगा।
5. परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।
6. आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित हो।
8. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/ निदेशक, संस्थान की होगी।
9. प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
10. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है , उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
11. कार्यदायी संस्था/निदेशक, संस्थान द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा लगाई गई शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
12. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
13. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
14. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।
15. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
16. इस सम्बन्ध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के सापेक्ष सुसंगत शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज दिया जायेगा।
18. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,91,80,000 (रुपये आठ करोड़ इक्यानबे लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031051400 राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-75/दस-2025-26 दिनांक 11-08-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
5. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. कोषाधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
8. वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियेाजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
11. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।